वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव
(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)
भाग—4
(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाए और विवेचनात्मक टिप्पणी की जाए)

आवेदनकर्ता, मुख्य महाप्रबंधक, एन.टी.पी.सी. तलाईपाली कोयला उत्खनन परियोजना, लैलूंगा रोड़ घरघोड़ा का घरघोड़ा में ग्राम रायकेरा, बनाई, बरकसपाली, डोलेसारा, बासंनपाली, कसडोल, कांटाझरिया, तहसील –रायगढ़, जिले रायगढ़ में रेगड़ा, सम्बलपुरी, तारपाली एवं आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 897 में रकबा 1.349 हे. एवं राजस्व वन भूमि रकबा 7.446 हे; कुल रकबा 8.795 हे. वन एवं राजस्व वन भूमि के व्यपवर्तन हेतु प्रस्ताव में दर्शाये अनुसार मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त के अभिमत से सहमत होते हुए रेलवे लाईन निर्माण हेतु 8.795 हे. आरक्षित वन भूमि के व्यपवर्तन की अनुशंसा की जाती है।

दिनांकः २8/08/2020
स्थानः अरण्य भवन, नवा रायपुर

(राकेश चतुर्वेदी)
(राकेश चतुर्वेदी)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
छत्तीसगढ़, अटल नगर, रायपुर
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
छत्तीसगढ़

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ

अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, केपिटल कॉपलेक्स, अटल नगर, रायपुर – 492002

(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक – भू–प्रबंध)

दूरभाषः 0771 – 2512840 ई – मेलः apccf-lm.cg@gov.in

क्र./भू–प्रबंध/विविध/115–752/1620 रायपुर, दिनांक29/08/2020

प्रति,

प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
अटल नगर, नवा रायपुर

विषयः – **Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 Proposed for MGR (Merry-Go-Round) Railway line of Talaipalli Coal Mining Project of NTPC Limited area – 8.795 ha.**
(पंजीयन क्र. FP/CG/RAIL/35461/2018)

संदर्भः – मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त का पत्र क्रमांक/ तक/ 1597 दिनांक 13.07.2020

–0–

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के दिशा निर्देशों तथा नवीन चेक लिस्ट अनुसार मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर द्वारा निर्धारित प्रपत्र–3 में अनुशंसा उपरांत वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। नोड़ल अधिकारी FC Act कार्यालय के परीक्षण उपरांत प्रस्ताव का चेकलिस्ट बिन्दु क्रमांक वार विवरण निम्नानुसार हैः–

बि.क्र. 1. आवेदक विभाग का मांग पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 01 से 3) – आवेदनकर्ता, मुख्य महाप्रबंधक, एन.टी.पी.सी. तलाईपाली कोयला उत्खनन परियोजना, लैलूंगा रोड़ घरघोड़ा का घरघोड़ा में ग्राम रायकेरा, बनाई, बरकसपाली, डोलेसारा, बासंनपाली, कसडोल, कांटाझरिया, तहसील –रायगढ़, जिले रायगढ़ में रेगड़ा, सम्बलपुरी, तारपाली एवं आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 897 में रकबा 1.349 हे. एवं 7.446 हे. राजस्व वन भूमि; कुल रकबा 8.795 हे. वन एवं राजस्व वन भूमि कोयला परिवहन के लिए रेल लाईन निर्माण के गैर वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत आवेदन निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत किया है।

बि.क्र. 2. प्रपत्र I में रजिस्ट्रेशन कोड (वर्ष/पंजीयन क्रमांक) (प्रस्ताव पृष्ठ 4 से 8) – वन मंडलाधिकारी रायगढ़ द्वारा रजिस्ट्रेशन क्रमांक – **FP/CG/RAIL/35461/2018** आबंटित होने का उल्लेख किया गया है जिसकी पुष्टि प्रस्ताव में संलग्न प्रपत्र–1 आधार पर की जाती है। पंजीयन शुल्क 6000 एवं प्रसंस्करण शुल्क 29000 रूपये जमा कराया गया है।

बि.क्र. 3. वन क्षेत्र का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 9) – रायगढ़ जिले के रायगढ़ वन मंडल के अंतर्गत प्रस्तावित एन.टी.पी. सी. तिलाईपाली, तहसील घरघोड़ा, जिला रायगढ़ द्वारा घरघोड़ा में ग्राम रायकेरा, बनाई, बरकसपाली, डोलेसारा, बासंनपाली, कसडोल, कांटाझरिया, तहसील –रायगढ़, जिले रायगढ़ में रेगड़ा, सम्बलपुरी, तारपाली एवं आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 897 में कोयला परिवहन के लिए रेल लाईन निर्माण हेतु रकबा 1.349 हे. आरक्षित वन भूमि एवं 7.446 हे. राजस्व वन भूमि; कुल रकबा 8.795 हे. वन एवं राजस्व वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत आवेदन निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत किया है।

बि.क्र. 4. गैर वन क्षेत्र का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 10) – रेल लाईन निर्माण परियोजना के लिए 104.917 हे. गैर वन भूमि प्रस्तावितं है।

बि.क्र. 5. प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे ऑफ इंडिया का मूल टोपोशीट 1: 50000 स्केल पर (प्रस्ताव पृष्ठ 11 से 18) – प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे ऑफ इंडिया का मानचित्र संलग्न है।

बि.क्र. 6. वन क्षेत्र का इन्डेक्स मैप (प्रस्ताव पृष्ठ 19 से 24) – वन क्षेत्र का इंडेक्स मैप संलग्न है।

बि.क्र. 7. प्रपत्र – 4 में प्रस्ताव (प्रस्ताव पृष्ठ 25 से 30) – प्रपत्र – 4 में रेल लाईन निर्माण हेतु रकबा 1.349 हे. आरक्षित वन भूमि एवं 7.446 हे. राजस्व वन भूमि; कुल रकबा 8.795 हे. प्रस्तावित है। परियोजना की प्रशासकीय लागत 2000 करोड़ बतायी गई है तथा वनों का घनत्व 0.4 तक है।

बि.क्र. 8. प्रोजेक्ट पर विस्तृत टीप (प्रस्ताव पृष्ठ 31 से 32) – यह प्रस्ताव पूर्व स्वीकृति तलाईपाली कोयला खदान के लिए स्वीकृति 766.393 हे. वन भूमि जिसमें 710.123 हे. कोयला खदान के लिए 56.270 कोतरिया से तलाईपाली तक रेल लाईन के लिए था। इसके अलावा रेलवे लाईन निर्माण हेतु 8.795 हे. अतिरिक्त वन एवं राजस्व वन भूमि की मांग की गई है।

बि.क्र. 9. वैकल्पिक वृक्षारोपण राशि जमा करने का वचन पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 33) – यूजर एजेंसी द्वारा दुगुने बिगड़े वन भूमि में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु राशि जमा करने का वचन पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 10. न्यूनतम वन क्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 34) – यूजर एजेंसी का वचन पत्र संलग्न है जो वन मंडलाधिकारी, रायगढ़ वन मंडल द्वारा भी हस्ताक्षरित है। ग्राम राकेरा, बनाई, बरकसपाली, डोलेसारा, बांसनपाली, कसडोल, कांटाझारीया, रेगड़ा, सम्बलपुरी, तारपाली एवं आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 897 एम.जी.आर रेलवे तिलाईपाली कोयला खनन परियोजना से कोयले की निकासी के लिए 8.795 हे. वन भूमि प्रत्यावर्तन के लिये अन्य सभी विकल्पों का पता लगा लिया गया है और आवेदित वन भूमि की मांग आवश्यक एवं न्यूनतम है।

बि.क्र. 11. पर्यावरण संरक्षण स्वीकृत प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 35 से 48) – यूजर एजेंसी का कथन है कि **पर्यावरण स्वीकृति** प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। इस आशय का यूजर का प्रमाण पत्र संलग्न है। साथ ही भारत सरकार का राजपत्र असाधारण क्रमांक 10 नई दिल्ली दिनांक 14.09.2006 पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना भी संलग्न है (प्रस्ताव पृ. क्र.–38)।

बि.क्र. 12. वृक्ष विदोहन विवरण (प्रपत्र – अ एवं ब में) (प्रस्ताव पृष्ठ 49 से 63) - आवेदित क्षेत्र में मिश्रित प्रजाति के 422 वृक्षों का विदोहन किया जाना है।

बि.क्र. 13. कास्ट/बेनिफिट एनालिसिस (प्रस्ताव पृष्ठ 64) – परियोजना 20 हे. से कम होने के कारण कास्ट बेनीफिट की आवश्यकता नहीं है।

बि.क्र. 14. – चयनित गैर वन क्षेत्र/निजी भूमि (पंचशाला खसरा की नकल, मानचित्र, सक्षम अधिकारी का हस्तांतरण आदेश) – राजस्व वन क्षेत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 65) – प्रस्ताव में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु राजस्व वन क्षेत्र प्रभावित नहीं हो रही है।

बि.क्र. 15. गैर वन क्षेत्र के आसपास क्षेत्र का नक्शा (प्रस्ताव पृष्ठ 66) – क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण बिगड़े वन क्षेत्र में प्रस्तावित है अतः गैर वन क्षेत्र के आसपास का नक्शा की आवश्यकता नहीं है।

बि.क्र. 16. स्थल विशेष वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना (प्रस्ताव पृष्ठ 67 से 98) -- आवेदित वन भूमि 8.795 हे. के एवज में दुगुने बिगड़े वन भूमि ग्राम पुसल्दा, बैगाबहरी नारंगी वनखण्ड रकबा 25.00 हे. में से 17.590 हे. में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के लिये प्रस्तावित है।

बि.क्र. 17. वृक्षारोपण क्षेत्र उपयुक्तता प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 99) – वन मंडलाधिकारी रायगढ़ वन मंडल द्वारा हस्ताक्षरित वृक्षारोपण क्षेत्र का उपयुक्तता प्रमाण पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 18. अधिनियम उल्लंघन अंतर्गत कार्यो का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 100) – रेलवे लाईन निर्माण कार्य के लिए ग्राम बासनपाली, डोलेसरा, बरकसपाली, बनाई, कसडोल एवं राईकेरा में राजस्व वन भूमि में स्थित वृक्षों की अवैध कटाई कर वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन किया गया है।

वन मंडलाधिकारी रायगढ़ वन मंडल रायगढ़ के प्रतिवेदन अनुसार उक्त वृक्षों की कटाई भूलवश की गई थी क्योंकि कटाई के दौरान निजि भूमि के साथ स्थित राजस्व वन भूमि के छोटे टूकड़े चिन्हांकित नहीं किये जा सके थे।

बि.क्र. 19. अधिनियम उल्लंघन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 101) – वन मंडलाधिकारी रायगढ़ वन मंडल के अनुसार वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन हेतु महाप्रबंधक, एन.टी.पी.सी., तलाईपाली से अथदण्ड वसूल किया गया है।

बि.क्र. 20. अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध प्रस्तावित कार्यवाही (प्रस्ताव पृष्ठ 102 से 104) – वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन हेतु पी.ओ.आर क्रमांक 4552/02, 4556/ 25, 4781/09, 4781/08, 4620/ 12 दिनांक 18.02.2019 एवं पी.ओ. आर. नं. 4883/02 दिनांक 21.02.2019 दर्ज किया जाकर प्रकरणवार हानि की राशि एवं अर्थ दण्ड मुआवजे के लिए दिनांक 10.04.2020 को वन मंडलाधिकारी, रायगढ़ द्वारा 4,08,194/– का मांग पत्र जारी किया गया है। जिसका भुगता एन.टी.पी.सी. द्वारा दिनांक 13.04.2020 से मल्टीसिटी चेक क्रमांक 455769 द्वारा कर दिया गया है।

बि.क्र. 21. वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु गैर वनभूमि अनुपलब्धता हेतु मुख्य सचिव का प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 105) – **क्षतिपूर्ति** वृक्षारोपण दुगुने बिगड़े वन भूमि में प्रस्तावित होने के कारण मुख्य सचिव के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बि.क्र. 22. कैचमेंट ट्रीटमेंट प्लान (प्रस्ताव पृष्ठ 106) – प्रस्ताव सिंचाई से संबंधित नहीं होने के कारण आवश्यक नहीं है।

बि.क्र. 23. रिक्लेमेशन प्लान (प्रस्ताव पृष्ठ 107) – प्रस्ताव खनन से संबंधित न होने के कारण रिक्लेमेशन प्लान की आवश्यकता नहीं है।

बि.क्र. 24. माईनिंग प्लान IBM नागपुर द्वारा अनुमोदित (केवल खनन प्रकरण में) (प्रस्ताव पृष्ठ 108) – प्रस्ताव खनन से संबंधित न होने के कारण माईनिंग प्लान की आवश्यकता नहीं है।

बि.क्र. 25. व्यवस्थापन प्लान (प्रस्ताव पृष्ठ 109) – प्रस्तावित क्षेत्र में किसी को उक्त क्षेत्र से हटाया नहीं गया है। अतः व्यवस्थापन प्लान की आवश्यकता नहीं है।

बि.क्र. 26. वन अधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन (प्रपत्र I से IV तक) (प्रस्ताव पृष्ठ 110 से 115) – भाग–2 पर वन मंडलाधिकारी रायगढ़ द्वारा प्रस्ताव को स्वीकृति की अनुशंसा की गई है।

बि.क्र. 27. ऐतिहासिक स्थल का प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 116) – व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्व का स्थल नहीं है जिससे संबंधित वन मंडलाधिकारी रायगढ़ वन मंडल का प्रमाण पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 28. संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 113 से 117) – प्रस्तावित परियोजना हेतु ग्राम पंचायत ग्राम टारपाली, राकेरा, बनाई, बरकसपाली, डोलेसारा, बांसनपाली, कसडोल, कांटाझारीया, रेगड़ा, सम्बलपुरी एवं तारपाली ग्राम सभा का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 29. जिले की कुल वन भूमि (रकबा हे. में) (प्रस्ताव पृष्ठ 118) – रायगढ़ जिले की कुल वन भूमि 152959.600 हे. है।

बि.क्र. 30. व.स.अ. 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों मे प्रभावित हुई वन भूमि रकबा हे. में (प्रस्ताव पृष्ठ 119 से 121) – रायगढ़ वन मंडल में 57 प्रकरणों के लिए 3381.001 हे. वन भूमि प्रभावित हुई है। वन भूमि का विवरण संलग्न है।

बि.क्र. 31. व.स.अ. 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों मे इसी श्रेणी की कुल प्रत्यावर्तन वन भूमि रकबा हे. में (प्रस्ताव पृष्ठ 122) – रायगढ़ वन मंडल अंतर्गत 5 प्रकरण में 847.627 हे. वन भूमि व्यपवर्तित की गई है।

बि.क्र. 32. प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण्य या हाथी कारीडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह / मूर्ति न होने की जानकारी (प्रस्ताव पृष्ठ 123) – वन मंडलाधिकारी रायगढ़ वन मंडल एवं परिक्षेत्राधिकारी तमनार, रायगढ़ एवं घरघोड़ा का संयुक्त प्रमाण पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 33. 15 कि.मी. परिधि के नक्शे में खनन हेतु प्रस्तावित स्थलों का चिन्हांकन (प्रस्ताव पृष्ठ 124) – खनन प्रकरण नहीं है। अतः आवश्यकता नहीं है।

बि.क्र. 34. वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण की सूची एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 125 से 128) – आवेदित क्षेत्र के लिये कलेक्टर रायगढ़ द्वारा वन अधिकार संबंधी प्रमाण पत्र दिनांक 20.03.2019 को जारी किया गया है।

बि.क्र. 35. राजस्व वन भूमि हेतु कलेक्टर का प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 129 से 130) – प्रस्ताव में राजस्व वन भूमि का कलेक्टर रायगढ़ का अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांक 03.10.2018 को जारी किया गया है प्रस्ताव में संलग्न है।

बि.क्र. 36. माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार प्रत्याशा मूल्य जमा करने का वचन पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 131 से 132) – यूजर एजेंसी द्वारा दिया गया वचन पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 37. Clearance under FC Act, 1980: Deposition of funds with the Ad-hoc CAMPA: Remittances to precede 2nd stage clearance **(प्रस्ताव पृष्ठ 133)** – यूजर एजेंसी द्वारा दिया गया वचन पत्र प्रस्ताव में संलग्न है।

बि.क्र. 38. A detailed note on Soil Productivity or the lack of it **(प्रस्ताव पृष्ठ 134)** – वन मंडलाधिकारी, रायगढ़ वन मंडल के कथन अनुसार प्रस्तावित स्थल की मिट्टी चिकनी, दोमट एवं बालुई है जिसमें हयूमन, लगभग सामान्य है। इसलिए मृदा वृक्षों / वनस्पत्तियों के लिए उपयुक्त है।

बि.क्र. 39. परियोजना की किसी भी प्रकार की भूमि में कार्य प्रारंभ न करने का प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 135) – वन भूमि में किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं किया गया है ऐसा प्रमाण पत्र यूजर एजेंसी के द्वारा दिया गया है, जो प्रस्ताव में संलग्न है। विस्तुत जानकारी लेक लिस्ट क्रमांक 18, 19 एवं 20 में उल्लेखित है।

बि.क्र. 40. Diversion of large area (more then 500 ha.) of forest land for mining and other non-forestry purposes under the Forest (Conservation) Act 1980 **(प्रस्ताव पृष्ठ 136)** – केवल 500 हे. से अधिक के प्रकरण में लागू है। अतः आवश्यकता नहीं है।

बि.क्र. 41. पंजीयन क्रमांक – पंजीयन शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 137 से 138) – बिन्दु क्रमांक –2 पर विवरण दिया गया है।

बि.क्र. 42. वन्यप्राणी परियोजना पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) का अभिमत (प्रस्ताव पृष्ठ 139) – वन्य प्राणी क्षेत्र प्रभावित नहीं होने से अभिमत की आवश्यकता नहीं है।

बि.क्र. 43. विद्युत लाईन से संबंधित प्रकरणों में एक स्थल से दूसरे स्थल तक टावर ले जाने का मानचित्र तथा तीन विकल्प में न्यूनतम प्रभावी वन क्षेत्र का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 140) – लागू नहीं।

बि.क्र. 44. प्रस्ताव मे अन्य (Misc) कमियों का विवरण विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 141) – डीजीपीएस सर्वे किया जा चुका है तथा आवेदित एवं क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण क्षेत्र की वेब पर केएमएल फाईल अपलोड की गई है।

प्रकरण भारत शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार तैयार किया गया है तथा समस्त प्रचलित संबद्ध नियमो/दिशा निर्देशों का पालन किया गया है। प्रस्ताव भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के वेब साईट में www.parivesh.nic.in पर अपलोड किया गया है।

उपरोक्त विवरण के आधार पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर द्वारा स्वीकृति की अनुशंसा की गई है। मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर उनके अनुशंसा से सहमत होते हुए, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़ के अनुशंसा निर्धारित प्रपत्र भाग–4 सहित सहित वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रथम चरण की स्वीकृति के लिये प्रस्ताव 2 प्रतियों में संलग्न प्रेषित है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़ कार्यालय से यह अनुशंसा भाग–4 में जोड़ी गई है कि व्यपवर्तन उपरांत आवेदित वन क्षेत्र में वन विभाग तथा अन्य शासकीय विभागों के वाहनों के आवागमन के अधिकार पूर्ववत सुरक्षित रहेंगे तथा आवेदक संस्थान द्वारा इस हेतु किसी प्रकार का कोई शुल्क / रोक नहीं लगायी जायेगी।

संलग्नः–

1. प्रस्ताव 2 प्रतियों में
2. संदर्भित पत्रों की छाया प्रति मय संलग्नक
3. भाग–4
4. टाईम लाईन

(प्र.मु.व.संरक्षक द्वारा अनुमोदित)

अ.प्र.मु.व.स (भू–प्रबंध /वं. स. अ)
छत्तीसगढ़